Government of India Indian Audit and Accounts Department Pr. Accountant General (Audit) Himachal Pradesh, Shimla 171003 क0सं0/प्रशासन/ले0प0/ए0सीरिज/2024/3,33

भारत सरकार भारतीय लेखातथा लेखा परीक्षा विभाग प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला 171003

दिनांक: 31.12.2024

कार्यालय आदेश


विषय:

वर्ष 2025 के लिए सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ रहने वाले आश्रित माता -पिता, बहन, विधवा बहन, विधवा बेटी, अवस्यक भाइ एवं बच्चों के सम्बन्ध में आश्रित घोषणा -पत्र ।

केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्चा) नियमावली -1944 के अनुभाग -4 पैरा -2 में निहित अनुदेशों के अन्तर्गत इस कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि व चिकित्सा दावों, CGHS Card, LTC/HTC इत्यादि की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से अपने आश्रित माता -िपता, बहन, विधवा बहन, विधवा बेटी, अवस्यक भाई एवं बच्चों के सम्बन्ध में आश्रित घोषणा -पत्र निर्धारित प्रपत्र में 10.1..2025 तक इस अनुभाग में प्रस्तुत कर दें। यह घोषणा पत्र 01.01.2025 से 31.12.2025 तक मान्य होगा। आश्रितों की सभी स्त्रोंतों से मासिक आय₹ 9,000/- से अधिक न हो। जहां पित/पत्नी दोनों राज्य/केन्द्रीय अथवा स्वायत निकाय में कार्यरत है, वे अपने -अपने नियन्त्रक अधिकारी के इस आश्य का संयुक्त घोषणा -पत्र प्रस्तुत करें कि पत्नी/पति, बच्चे तथा अपने आश्रित पारिवारिक सदस्यों के चिकित्सा परिचर्चा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा कौन प्रस्तुत करेगा। यदि पति/पत्नी अपने -अपने चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति अपने सम्बन्धित कार्यालय से स्वयं करना चाहता है तो भी एक संयुक्त घोषणा -पत्र इस आशय से प्रस्तुत करें कि वे अपने पति/पत्नी के चिकित्सा दावों की प्रति पूर्ति हेतु दावे प्रस्तुत नहीं करेगें विर्ष 2024-25 के लिए आश्रित घोषणा-पत्र, (संलग्न प्रपत्र) में भरकर हकदारी अनुभाग में 10.1.2025 तक प्रस्तुत कर दें, इसके अतिरिक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके पति/पत्नी यदि सरकारी कार्यालय में कार्यरत है,तो कृपया उनके कार्यालय से अनापति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करें की वह अपने कार्यालय से उपर्युक्त किसी भी प्रतिपूर्ति दावों की अदायगी नहीं प्राप्त कर रहे

प्राधिकारः व .उप -महालेखाकार (प्रशासन)महोदय के आदेश दिनांक 26.12.2024

वरिष्ठ लेखेपरीक्षा अधिकारी (हकदारी अनुभाग)



पत्र सं0/स्थाबिल/ले0प0/चिकित्सा/आश्रितघोषणा/2024-25/454-460

दिनांक:-31.12.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई -मेल द्वारा प्रेषितः

- सचिव प्रधान महालेखाकार
- निजि सहायक उप-महालेखाकार (प्रशासन)
- निजि सहायक उप-महालेखाकार (ए0एम0जी0 -II)
- निजि सहायक उप-महालेखाकार (ए0एम0जी0 -I)
- निजि सहायक उप-महालेखाकार (ए0एम0जी0 -III)
- कल्याण अधिकारी
- 7. ए0सीरिज फाईल

I.D.No	
Mob. No	

OFFICE OF THE PR.ACCOUNTANT GENERAL(AUDIT)HIMACHAL PRADESH,SHIMLA-171003

Subject: Declaration of dependency of family member's for the year 2025

With reference to the office order no.Entt./A/Med./Dependency/2024/454-460 Dated 31.12.2024.I beg to declare my parents (Father/Mother/Sister/Widowed Daughter/Minor Brother) as dependent upon me for reimbursement medical/LTC/HTC claims in the year 2025.

claims in the year 2023.		
The required particulars are as under:-		
1.Name of the dependent with relation and their age		
2 Named regidential address of January Lands		
2.Normal residential address of dependents 3.Occupation of dependents		
4. Monthly Income form house, land holding and		Hamil Agencies
also prom pension. Originally sanctioned with-		
out commutation ply increase in pension on		
account of ADA ect.		
5.Name of the locality and residential address of		
The Govt. Servant at his place on duty		
6.If the dependents are not residing with the Govt.		
Servant with whom they are residing and the		
Reasons thereof		-
7.In case the wife/husband is employed the name		
Of the spouse	- <u></u>	
3.Designation and postal address of the department	en de la companya de	All the Control of th
Name of the spouse who will claim the medical		
Charges in respect of self, children and dependan	t	
Family members.	1 11 1 1 1 1	
I here declare that I/My wife/husba	and will claim the medical char	ges in my
avour, children, widowed sister, daughter, minor	brother and dependent parents a	lso declare
nat the above declaration is true to the best of my l		166
	Yours	s faithfully,
	Signature	
	Name of Employee	
	Designation	
	Section	
	Pay Level & Basic Pay	
gnature of Wife/Husband		
a case of Joint Declaration a separate from shoul	d be filled)	

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला -171003 विषय:- वर्ष 2025 के लिए माता -िपता/अन्य सम्बन्धियों की आश्रित्ता घोषणा पत्र।

कार्यालय आदेश संख्याः हकदारी/ले०प०/आश्रित/2024/454-460 दिनांक 31.12.2024 के संदर्भ में में वर्ष 2025 में चिकित्सा/एल0टी0सी0/एच0टी0सी0 में प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता -पिता/बहन/विधवा बहन/विधवा पुत्री/नाबालि भाई मुझ पर आश्रित है। जिसका व्यौरा निम्नवत है:-

1. आश्रित सदस्य/सदस्यों के नाम,आयु तथा सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के साथ उनका सम्बन्ध।

ainim I	उ रार्नारा जावकारा/कमचारा क साथ उनका सम्बन्धा				
क्रंमसंख्या	नाम	эпэт	सरकारी कर्मचारी के		
		आयु	dicauci in a man		
			सम्बन्ध		

						\dashv
2	आश्रितसदस्य/सदस्यों का	ananda a a				
۷٠	जा। त्रसंसदस्य सदस्या यह	आवासाय पत्ता				
3.	व्यवसाय		7 19			
4.	गृह,भूमि तथा मूलरूप से	संस्वीकृत पैंशन से मासिक व	आय (पैंशन सारांशी	करण तथा पैंश	न राहत बिना)	
	अधिकारी/कर्मचारी का उ		·			
6	यदि आश्रित सदस्य अधि	कारी/कर्मचारी के साथ <mark>नहीं</mark> र	हता/रहतें हैं तो का	रण सहित यह र	- बताएं कि वह/वे	
0.	किसके साथ रहते है					
7		रते है तो पति/पत्नी का नाम <u></u>				
100		ार्यालय का नाम तथा पूर्ण डाव				
		ायाराय का गान राया पूरा डाउ १,बच्चों तथा आश्रित सदस्य/		 धवा पत्री/नाब	 लिंगभाई/आश्रि	— त माता–
		तपूर्ति का दावा प्रस्तुत करूगां,		1441 340 114	ii (i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
ાપતા જ	ाचाकत्सा प्रमारा का प्राप	त्यात का याचा त्रराहुत कराना इस्ता हूँ कि मेरे विवरण तथा र	अधिकतम जानकारी	के अनुसार उ	पर्यक्त सचना र	पद्गी है।
	म वाषणा करता/प	okill 6 lay art later than a		13		
	,					भवदीय,
					ट्यसध्य	गजपान,
			अधिकारी/कर्मन	ساحتس	हस्ताक्षर	
			जा जनगरा/जाम	વારાफાનામ		
					पदनाम	
					अनुभाग	
			Ţ	गूलवेतन एवं	लेवल	
	पत्नी/पति के हस्त	गक्षर				
	च्या स्रोक्तामा से व	नामले में पथक पपत्र पयक्त	किया जाए।			

<u>CERTIFICATE</u>

Certified that I, Shri/Smt.(name)	employed
in	(name of office in which
employed) am not availing of medical reimburser	nent facilities or LTC/HTC
claim in lieu thereof either for myself and/or the me	
(other) source other than under the CS(MA) Rules,	1944.
Date:	
	Signature of Govt. Servant Concerned with seal

